(16)

संख्या 40 /IV(1)/2011–01(02)2010

प्रेषक

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 22 मार्च,2011

विषय:–छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार की भॉति दिनांक 01.01.2009 से दिनांक 31.12.2010 तक पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों को महॅगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1665/श0वि0नि0/केन्द्रीयित सेवा 32/01/ 2011 दिनांक 12 जनवरी, 2011 को सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सेवानिवृत्त लाभ के देयकों की दरों में शासनादेश संख्या–420/XXVII(7)/मं0रा0/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के बाद राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों की भॉति महॅगाई राहत अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा द्वारा पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु सेवानिवृत्त लाभ के देयकों की दरों का पुनरीक्षण के शासनादेश संख्या–484/IV(1)/2010–01(02)2010 दिनांक 30.12.2010 के प्रस्तर–3 में महॅगाई राहत शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.12.2008 तक ही अनुमन्य किया गया है और दिनांक 01.7.2008 से यह 16 प्रतिशत है।

3– चूंकि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–153/XXVII(7)/मं0रा0/2009 दिनांक 28 मई, 2009 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 से 22 **प्रतिशत**, कार्यालय ज्ञाप संख्या–298/ XXVII(7) /मं0रा0/2009 दिनांक 15 अक्टूबर,2009 द्वारा **दिनांक 01.7.2009 से 27प्रतिशत**, कार्यालय ज्ञाप संख्या–595/XXVII(7)/मं0रा0/2009 दिनांक 09 जून, 2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से **35प्रतिशत** एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–734/XXVII(7)/ मं0रा0/2009 दिनांक 26 अक्टूबर,2010 द्वारा दिनांक 01.7.2010 से **45 प्रतिशत राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य** की गयी है।

4– अत: पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों को राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों की भॉति अनुमन्य महॅगाई राहत वित्त विभाग के प्रस्तर–3 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापों के अनुसार दिनांक 01.01.2009 **22 प्रतिशत**, दिनांक 01.7.2009 से **27प्रतिशत**, दिनांक 01.01.2010 से **35प्रतिशत** एवं दिनांक 01.7.2010 से **45 प्रतिशत** के अनुसार महॅगाई राहत स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5– उक्तानुसार दरों के संशोधन के फलस्वरूप धनराशि का वहन ***उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि*** से किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

6– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–4987/XXVII(7)/2010, दिनांक 17 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुकम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 40 /IV(1)/20 तद्दिनांक 22/3/11
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड की वैबसाइट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (वे0आ0–सा0 वित्त अनुभाग–7),उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।